

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वैशाली नगर आगार की लगभग 80 (3x2) ब्लू लाईन बसों में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, मनोरंजन और सूचना के लिए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव करने के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान करने के लिए लाइसेंसी नियुक्त करने हेतु ई-बोली -

क्रमांक:-एफ- /मु0/प्रशा./वि.के./2026/05

दिनांक:- 06-01-2026

ई-बोली सूचना संख्या 01/2025-26

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वैशाली नगर आगार की लगभग 80 (3x2) ब्लू लाईन बसों में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, मनोरंजन और सूचना के लिए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव करने के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान करने के लिए लाइसेंसी नियुक्त करने हेतु ई-बोली के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण वेबसाइट www.rsrtc.rajasthan.govt.in व <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SPPP) पर देखें।

इस बोली से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	बोली संबंधी विवरण	दिनांक एवं समय
1	बोली सूचना जारी होने की तिथि	06.01.2026
2	बोली प्रपत्र शुल्क	रुपये 1180/- (अक्षरे एक हजार एक सौ अस्सी रुपये मात्र) (कर सहित)
3	बोली प्रोसेसिंग शुल्क	रुपये 1500/- (अक्षरे पन्द्रह सौ रुपये मात्र)
4	धरोहर राशि	रुपये 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र)
5	बोली प्रपत्रों को डाउनलोड करने की अवधि	06.01.2026 से 27.01.2026 तक समय: प्रातः 11:00 बजे तक।
6	प्री-बिड दिनांक	12.01.2026 समय 12:30 बजे।
7	बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक (तकनीकी बोली)	27.01.2026 समय 15:30 बजे।
8	वित्तीय बोली	समयानुसार सूचित किया जावेगा।
9	आरक्षित दर	रुपये 1500/- प्रतिबस प्रतिमाह (कर अतिरिक्त)

- बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश अवकाश रहता है तो ऐसी दशा में अगले दिन बोलियां खोली जाएगी। लेकिन समय पूर्व निर्धारित ही रहेगा (अर्थात् समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा)।
- बोली दाता निगम के वैशाली नगर आगार की लगभग 80 (3x2) ब्लू लाईन बसों में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, मनोरंजन और सूचना के लिए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव करने के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान करने हेतु ई-बोली के माध्यम से बोली प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।
- बोली प्रपत्र में डाउनलोड/आवेदन करते समय बोली शुल्क 1180/- रुपये एवं धरोहर राशि रु. 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) की डी डी संख्या दिनांक एवं बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित कर संलग्न करनी होगी।
- बोली दाता द्वारा बोली शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 27.01.2026 को अपरान्ह 15.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है। इसके बिना प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।
- कोई भी बोली इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारणवश देरी होती है तो उसके लिए वह (बोली दाता) स्वयं जिम्मेदार होगा।
- बोली में भाग लेने वाले बोली दाताओं को इन्टरनेट साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन एण्ड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में साइन करने हेतु

काम आयेगा। बोली दाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी सी ए (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

8. बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क एवं धरोहर राशि Financial Advisor RSRTC को देय payable at Jaipur के नाम डी डी/बैंकर्स चेक द्वारा जमा करानी होगी। बोली प्रोसेसिंग शुल्क MD RISL Jaipur के नाम डी डी देय होगी। यदि बोलीदाता द्वारा दिनांक 27.01.2026 को 15.00 बजे तक उक्त डी डी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।
9. बोली दाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
10. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
11. ऑनलाइन बोलियां निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी।
12. बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करावे।



(चाँदमल वर्मा)

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वैशाली नगर आगार की लगभग 80 (3x2) ब्लू लाईन बसों में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, मनोरंजन और सूचना के लिए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव करने के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान करने के लिए लाइसेंसी नियुक्त करने हेतु ई-बोली:-

उपरोक्त कार्य हेतु बोली प्रस्तुत करने के लिये निम्न आवश्यक शर्तें हैं :-

1. बोलीदाता/कम्पनी/संस्था को निम्न विवरणानुसार योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है:-

क्र.स.	योग्यता का विवरण
1	बोलीदाता/कम्पनी/संस्था को कम्पनी अधिनियम अथवा आवश्यक कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है तथा प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
2	बोलीदाता/कम्पनी/संस्था को राज्य या केन्द्र सरकार के लिए/ किसी सार्वजनिक परिवहन या मीडिया क्षेत्र के संस्थान के लिए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) या इसी तरह की आपूर्ति, स्थापना, रखरखाव व संचालन में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिये। जहां पर उसके द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया गया है उस संस्था/कम्पनी आदि के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, कार्यादेश, अनुबन्धों की प्रति एंवम् कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है।
3	बोलीदाता/कम्पनी/संस्था को गत तीन वर्ष की लेखा परिक्षित आयकर रिटर्न व तुलन पत्र (Balance Sheet) की प्रतिलिपि बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
4	बोलीदाता/कम्पनी/संस्था का गत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25) में औसत रु. 1,00,00,000/- (अक्षरे एक करोड़ रुपये मात्र) का टर्न ओवर होना आवश्यक है जिसका चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
5	बोलीदाता/कम्पनी/संस्था को किसी भी सरकार/विभाग/संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किये जाने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

बोलीदाता/कम्पनी/संस्था (बोलीदाता) द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं अथवा प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है तो इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव (बोली) को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

2. निविदा का दायरा एवं कार्यान्वयन अनुसूची:-

1. टीवी विनिर्देश:

- स्क्रीन आकार: [न्यूनतम 24 इंच]
- रिज़ॉल्यूशन: [पूर्ण HD 1920x1080 या अधिक]
- RAM:- 1GB, ROM:- 8GB
- टिकाऊपन: शॉक-प्रतिरोधी, मोबाइल वातावरण के लिए उपयुक्त।
- कनेक्टिविटी: सामग्री अपडेट के लिए USB, HDMI, Wi-Fi या 4G सपोर्ट।
- पावर सप्लाई: बस पावर सिस्टम (12V/24V DC) के साथ संगत।
- स्पीकर (न्यूनतम 02) जिनमें बंद करने तथा आवाज कम ज्यादा करने की सुविधा उपलब्ध हो।

2. सामग्री प्रबंधन प्रणाली:

- दूरस्थ सामग्री शेड्यूलिंग और निगरानी।
- वीडियो (.mp4, .avi), चित्र (.jpg, .png), और टेक्स्ट-आधारित विज्ञापनों के लिए सपोर्ट।
- सिस्टम प्रदर्शन के लिए रीयल-टाइम डायग्नोस्टिक्स।

3. स्थापना आवश्यकताएँ:

- बस कंपन और गति को झेलने के लिए सुरक्षित माउंटिंग।
- अलग-अलग प्रकाश स्थितियों में दृश्यता के लिए एंटी-ग्लेयर स्क्रीन।
- सार्वजनिक परिवहन के लिए सुरक्षा मानकों का अनुपालन।

✓

3. मनोरंजन एवं विज्ञापन सामग्री के साथ-साथ निगम के दिशा-निर्देश, सुरक्षा संदेश तथा जन जागरूकता संबंधी सूचनाएं एलईडी स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉलिंग पट्टी (Scrolling strip) के रूप में निरन्तर प्रदर्शित की जायेगी। Cloud Based Travel Information System (CTIS) का विकास, कान्फिगरेशन एवं परीक्षण करते हुए बस प्रारम्भ होने से गंतव्य स्थल तक के समस्त स्टैण्डों की जानकारी यात्रियों को प्रदान करने का कार्य (मेट्रो मॉडल के अनुसार) लाइसेंसी फर्म द्वारा अपने स्तर पर किया जायेगा। प्रत्येक वाहन के कुल प्रतिदिन संचालन समय में से 20 प्रतिशत का समय निगम की सूचनाओं तथा सन्देशों के प्रदर्शन हेतु निर्धारित किया जायेगा तथा शेष समय लाइसेंसी फर्म के लिए निर्धारित किया जायेगा, जिसमें लाइसेंसी द्वारा CTIS, मनोरंजन व विज्ञापन प्रदर्शन किया जा सकेगा।
4. बोली के साथ धरोहर राशि रु. 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) की डी डी/बैंकर्स चेक के रूप में (Financial Advisor RSRTC को देय) payable at Jaipur के नाम से संलग्न करनी होगी। चेक एवं नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। यह राशि जमा न होने की दशा में बोली स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। यह राशि प्राप्त बोलियों पर स्वीकृति हेतु निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत बोलियों की राशि बोलियों पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटाई जावेगी।
5. निगम द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे उन्हें इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर-भीतर सुरक्षा राशि के रूप में बसों की संख्या X अनुमोदित दर राशि X 6 माह की लाइसेंस फीस के बराबर राशि की बैंक गारण्टी (राजस्थान राज्य में संचालित शिड्यूल बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक) जमा करानी होगी जो कि अनुबन्ध समाप्त होने के छः माह बाद तक की अवधि के लिये विधि मान्य होगी। यह राशि धरोहर राशि रुपये 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) के अतिरिक्त देय होगी तथा यह दोनों राशियां निगम कोष में बिना किसी ब्याज के जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात् एवं अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर फर्म के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं होने की स्थिति में बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। बोलीदाता को प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित सुरक्षा राशि बैंक गारण्टी के रूप में जमा कराने के पश्चात् निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना होगा। यदि उसके द्वारा सुरक्षा राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराई जाती है तथा अनुबन्ध नहीं किया जाता है तो जमा कराई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी। सुरक्षा राशि के रूप में बैंक गारण्टी निगम में प्रस्तुत करने एवं अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने के पश्चात् ही बोलीदाता को निगम के वैशाली नगर आगार की लगभग 80 (3x2) ब्लू लाईन बसों में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, मनोरंजन और सूचना के लिए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव करने के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान करने के कार्य हेतु अनुज्ञाधारी को (लाइसेंसी) नियुक्ति का कार्यादेश जारी किया जावेगा अन्यथा नहीं।
6. कार्यादेश में दर्शायी गई कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से पिछले माह की अन्तिम तारीख को संचालित रही बसों की संख्या x दर प्रति वाहन प्रतिमाह +जीएसटी की निर्धारित दर के अनुसार आंकी गई कुल राशि निर्धारित लाइसेंस फीस कहलायेगी।
7. फर्म जिसके पक्ष में लाइसेंस जारी किया जायेगा, को पाँच वर्ष के पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निगम कार्यालय में जमा कराने होंगे, जो कि प्रत्येक माह की एक तारीख को देय होंगे। प्रत्येक चेक प्रत्येक माह की लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए Financial Advisor, RSRTC को देय होगा। निगम को देय चेकों में से कोई भी चेक अनादरित/तिरस्कृत हो जाने की दशा में लाइसेन्सी को तीन दिवस का नोटिस अनादरित चेक की राशि एवं बैंक चार्जज की राशि जमा कराने हेतु दिया जावेगा। अनादरित चेक की राशि उस माह की सात तारीख तक जमा नहीं कराने पर रुपये 2000/- प्रति दिन जीएसटी अतिरिक्त (आठवें दिन से) के हिसाब से शास्ति राशि वसूल की जाएगी। 60 दिवस तक लाइसेंस फीस की राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में लाइसेन्सधारी के विरुद्ध अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
8. लाइसेंस फीस की दर एक बार लागू होने की तिथि से एक वर्ष तक वही रहेगी। इसके पश्चात् प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से वृद्धि करते हुए लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जावेगा तथा उसी अनुसार लाइसेंस फीस देय होगी। निगम की बसों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है जिसके संबंध में लाइसेंसी कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेगा।
9. अनुबन्ध की कुल अवधि पांच वर्ष की होगी। पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक प्रकरण एवं लाइसेंस शुल्क बकाया नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से अंतिम माह को देय लाइसेंस शुल्क में न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अधिकतम दो वर्ष व छः माह की अवधि के लिए अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जा सकता है जिसका निर्णय लेने हेतु निगम स्वतंत्र होगा।
10. स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, रखरखाव व संचालन पर प्रदाय किये जाने वाले समस्त प्रकार के कर/प्रभार/माल एवं अन्य दायित्वों को जमा कराने की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की होगी। करवंचना के किसी भी मामले में निगम पार्टी नहीं होगा तथा किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क/शास्ति आरोपित होने

च

की दशा में समस्त दायित्व अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) का होगा। यह राशि अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की जमा सुरक्षा राशि/धरोहर राशि में से इसका भुगतान कर दिया जावेगा जिसका पुनर्भरण अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा 07 दिवस के भीतर ही करना होगा।

11. लाइसेंस अवधि में निगम के पास बिना कारण बताये किसी भी समय अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को 30 दिवस का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एवं इसकी कोई क्षतिपूर्ति अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को देय नहीं होगी। यदि अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो उसे तीन माह पूर्व सूचना निगम को देनी होगी। तीन माह पूर्व सूचना नहीं देकर यदि अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी। लाइसेंसधारी को प्रथम वर्ष की लाइसेंस फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को निगम या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के सभी आदेशों / निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। निगम द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों / निर्देशों की जानकारी प्राप्त करने एवं उनकी अनुपालना करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) का होगा। निगम द्वारा प्रसारित आदेशों/निर्देशों एवं अनुबन्ध की शर्तों की अवहेलना करने पर एवं नोटिस के बावजूद सुधार नहीं करने पर अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को एलईडी टीवी संचालन से हटाया जा सकेगा तथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
13. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि व सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो यह राशि निगम द्वारा जब्त की गई तिथि से 7 दिवस के भीतर पुनः जमा करानी होगी अन्यथा निगम द्वारा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
14. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) इस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे विज्ञापन संस्थान/व्यक्ति को न तो किराये पर देगा और न ही सबलेट/हस्तान्तरण आदि करेगा।
15. निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) और संबंधित उपकरणों का नियमित रखरखाव और मरम्मत व दोषपूर्ण इकाइयों को 24 घंटे के भीतर बदलने और प्रदर्शन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-2 पर जांच की समस्त जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की होगी। उससे संबंधित किसी भी दावे, क्षतिपूर्ति व उत्पन्न होने वाली किसी भी न्यायिक कार्यवाही की समस्त जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की होगी।
16. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) के एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) और संबंधित उपकरणों के किसी भी कारण से (क्षतिग्रस्त हो जाने /चोरी हो जाने /गिर जाने /जलने /हड़ताल /युद्ध /दंगे /अकल्पनीय स्थिति आदि) होने वाली क्षति का दायित्व अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) का होगा तथा इस हेतु निगम द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी।
17. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को सात दिवस का नोटिस देकर लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा।
18. यदि राज्य/केन्द्र सरकार या निगम को अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई तो वह उक्त वाहनों में एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध समय के अतिरिक्त समय पर उक्त सूचना का प्रदर्शन कर सकेंगे। जिसके लिए अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को किसी प्रकार की छूट लाइसेंस शुल्क में से नहीं दी जावेगी।
19. जितनी अवधि के लिए जितनी वाहनों में एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) पर शर्त संख्या 18 के तहत विज्ञापन/सूचना प्रदर्शित की जाती है तो अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की अनुबन्ध की अवधि में आनुपातिक दिवसों की वृद्धि कर मूल अनुबन्ध अवधि में वृद्धि की जाकर पूर्ति की जावेगी। इसमें मूल अवधि तक दरें शर्त संख्या 08 के अनुसार रहेगी तथा **मूल अवधि अर्थात् 05 (पांच) वर्ष** पश्चात् दरें शर्त संख्या 09 के अनुसार रहेगी।
20. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) किसी भी प्रकार का अश्लील/केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थान, निगम द्वारा या अन्यथा प्रतिबंधित किसी सामग्री या वस्तु का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। इसके उल्लंघन पर होने वाली हानि के लिए अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) स्वयं जिम्मेदार होगा। अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी भी प्रकार के कानूनी एवं अन्य दायित्व की पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की होगी एवं निगम स्तर से भी कार्यवाही की जा सकेगी।
21. वाहनों में स्थापित किये गए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) पर उपलब्ध समय में यदि किसी कारण से कमी/वृद्धि होती है तो इसके लिये दरों में किसी प्रकार का संशोधन निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगा।
22. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा वाहनों में एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) व संबंधित उपकरण आगार कार्यालय में मुख्य प्रबन्धक /प्रबन्धक (संचालन) की सहमति से लगाये जावेंगे एवं प्रबन्धक (संचालन) से वाहनों में लगाये गये एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) व संबंधित उपकरण से संबंधित बस नम्बर का प्रमाण पत्र अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) अपने स्तर से प्राप्त करेगा एवं निगम मुख्यालय को इसकी सूचना देगा।
23. निगम की एवम् निगम द्वारा अनुबंधित वाहनों में एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव करने के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान करने के लिए सुविधा हेतु अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को 2 अधिकृत व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा पास दिये

जावेगें, जो कि द्रुतगामी एवं साधारण बसों के लिए मान्य होंगे। जिनका उपयोग अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) केवल अपने एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव करने के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन करने के लिए ही करेगा। यदि इसमें किसी प्रकार का दुरुपयोग होना पाया जाता है तो बिना किसी नोटिस के उक्त सुविधा को समाप्त कर दिया जावेगा, इस हेतु अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

24. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) इस अनुबन्ध अवधि में जब भी चाहे उन्हें उपलब्ध कराई गई वाहनों में एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) पर शर्त संख्या 03 के अनुसार निगम सूचनाएँ, CTIS, मनोरंजन व विज्ञापन चला सकेगा एवं हटा सकेगा। अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) वाहनों के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा एवं कार्यशाला में वाहन उपलब्धता के समय ही एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) लगाया जा सकेगा तथा रखरखाव सम्बंधित कार्य कर सकेगा।
25. एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) लगाने में निगम की वाहनों को किसी प्रकार की क्षति या टूट-फूट/नुकसान होगा तो अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को निगम द्वारा आंकी गई निर्धारित राशि की 15 दिन के भीतर भरपाई करनी होगी अन्यथा अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि से उक्त राशि वसूल की जा सकेगी।
26. वाहन जिस स्थिति में होंगे व जहां होगी (As is where is basis) एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) लगाने हेतु उपलब्ध करवाई जावेगी जो लाइसेंसधारी को स्वीकार होंगे।
27. यदि कोई वाहन दुर्घटना/यांत्रिक दोष के कारण 15 दिवस से अधिक समय के लिए संचालन से बाहर रहती है तो अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को लाइसेंस शुल्क में छूट दी जा सकेगी।
28. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) श्रम कानून एवं भविष्य निधि कानून की पूर्ण पालना करेगा। अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लंघन किया जावेगा तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
29. युद्ध/दंगे/जन विद्रोह /बन्द/हडताल/तालाबन्दी /बाढ /नेशनल सिक्योरिटी अकल्पनीय आदि कारणों से परिवहन निगम की बसों के संचालन का निलम्बन या निरस्तीकरण हो जाता है तो लाइसेंसी को आकस्मिक घटना के एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी (Force Majeure) क्लोज के अन्तर्गत किये गये निर्णयानुसार होगी।
30. बोली प्रस्ताव ई-बोली के माध्यम से प्रेषित करने होंगे।
31. बोली प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा में हो तथा किसी प्रकार की कांट-छांट न हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर। अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत लिखें, साथ ही प्रमाण भी पेश करें।
32. बोलीदाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
33. किसी भी बोली को स्वीकृत करना निगम के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।
34. यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
35. उक्त बोली प्रक्रिया द्विस्तरीय होगी अर्थात् तकनीकी एवं वित्तीय बोली अलग-अलग खोली जावेगी। जो बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य पाये जावेगें उन बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
36. बिड प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम अपील सुनने हेतु प्रबंध निदेशक महोदय तथा द्वितीय अपील सुनने हेतु निगम के अध्यक्ष महोदय अधिकृत होंगे। यदि निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एक ही पद हो तो प्रथम अपील सुनने हेतु निम्नुसार कमेटी गठित की जावेगी:-

क. वित्तीय सलाहकार,

ख. कार्यकारी निदेशक (विधि) तथा द्वितीय अपील सुनने हेतु निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय अधिकृत होंगे।

प्रथम अपील के लिए फीस 2500/- रुपये तथा द्वितीय अपील के लिए 10,000/- रुपये होगी जो अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगी।

37. किसी भी सरकार/विभाग/संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा ब्लैक लिस्टेड की गई संस्था/बोली दाता फर्म के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसी फर्म द्वारा प्रस्ताव दिये जाने पर फर्म की धरोहर राशि जब्त की जावेगी। इस संबंध में फर्म को स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
38. अनुबंध कियान्वयन शर्तों एवं अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिये मु0/विधि/सामा/2024/783 दिनांक 03.05.2024 के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान रहेगा:-

(I) **Dispute Resolution:** Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of

this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

(II) Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.

39. बोली की वैद्यता अवधि 90 दिवस होगी।

40. संलग्न घोषणा पत्र को भरकर (प्रस्ताव) प्रपत्र के साथ संलग्न करें। मैंने उक्त सभी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा उक्त सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय मोहर



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वैशाली नगर आगार की लगभग 80 (3x2) ब्लू लाईन बसों में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, मनोरंजन और सूचना के लिए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव करने के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान करने के लिए लाइसेंस नियुक्त करने हेतु ई-बोली:-

ई- तकनीकी बोली - प्रपत्र

बोली प्रपत्र संख्या:-एफ- /मु0/वि0/26/

दिनांक

बोली प्रपत्र की राशि जमा रूपयें 1180/-

(अक्षर:-एक हजार एक सो अस्सी रूपयें)

डी.डी. सं0-----दिनांक-----

1. बोलीदाता/कम्पनी/संस्था का नाम व पूर्ण पता :-

2. टेलीफोन नम्बर/मो0 व ई-मेल आईडी :-

3. धरोहर राशी :-
रूपयें----- अक्षरें -----
डी.डी. सं0-----दिनांक-----
4. एम डी आर आई एस एल, जयपुर को देय फीस :- रूपयें----- अक्षरें -----
डी.डी. सं0-----दिनांक----- 5
5. बैंक का नाम, खाता संख्या, ब्रांच, आई.एफ.एस. संख्या

6. बोली प्रपत्र के अनुसार संलग्न दस्तावेजों की संख्या एवं विवरण। पृष्ठ संख्या-
A. पंजीकरण प्रमाण -पत्र
B. GST प्रमाण -पत्र
C. PAN
D. अनुभव प्रमाण -पत्र
E. कार्यादेश व अनुबन्ध की प्रति
F. कार्यपूर्णता प्रमाण -पत्र
G. गत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न व तुलन -पत्र की प्रति
H. C.A से सर्टिफाइड टर्नओवर प्रमाण -पत्र की प्रति
I. ब्लैकलिस्टेड नही होने का स्व घोषणा प्रमाण-पत्र

पूरा नाम:-

हैसियत:- मालिक/पार्टनर/निदेशक

पूर्ण पता:-

घोषणा-पत्र

बोलीदाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर डिजिटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

- 1 मैं/हम डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर _____ दिनांक-----राशि रूपयें
----- अक्षरें-----जो कि Financial Advisor
RSRTC के नाम देय है संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
- 2 मैं/हमने निगम की समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/ हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर कर दूंगा / देंगे ।
- 3 मैं/हम घोषणा करता/करते हैं/हूँ कि मैंने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की तरफ से नहीं दिये गये है।
- 4 मैं/हम वचन देता/देते है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव तीन माह की अवधि तक लागू रहेगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर-बोलीदाता

मय नाम/पद/हैसियत व मोहर सहित

ANNEXURE- A

COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST

Any person participating in a procurement process shall –

- a) not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- b) not misrepresent or omit that mislead or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.
- d) not misuse any information shared between the procuring entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the Procurement process.
- e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the Procurement process.
- f) not obstruct any investigation or audit of a Procurement process.
- g) disclose conflict of interest, if any and
- h) disclose any previous transgressions with any Entity in india or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST :

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict interest.

A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliances with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but limited to :

- a) have controlling partners/shareholders in common; or
- b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder or influence the decision of the Procuring Entity regarding the Bidding process; or
- e) the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. however, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or to proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract

Signature of tenderer with seal

ANNEXURE- B

DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS

DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their notice inviting Bid No. Dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

01. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

02. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Documents;

03. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

04. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to entire to a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

05. I/we do not have conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of Bidder with seal

Name :

Designation :

Address :

ANNEXURE- C

GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

As per bid condition No. 39 .

01. Filing an appeal

If a Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provision to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to first Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

02. The officer to whom an appeal is filled under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

03. If the officer designation under para (1) fails to dispose the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

04. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :

- a) determination of need of procurement;
- b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- c) the decision of whether or not to enter into negotiation;
- d) cancellation of a procurement process;
- e) applicability of the provisions of confidentiality.

05. Form of Appeal

- a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

06. Fee of filing appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

07. Procedure for disposal of appeal

- a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, Shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

Signature of tenderer with seal

- b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

- (i) here all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of tenderer with seal

FORM No.1 [See rule 83]
MEMORANDUM OF APPEAL UNDER THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN
PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012

Appeal No. of
Before the (First/Second Appellate
Authority)

01. Particulars of appellant :

- (i) Name of Appellant :
- (ii) Official address, if any :
- (iii) Residential address :

02. Name and address of the respondent(s) :

- (i)
- (ii)
- (iii)

03. Number and date of the order appealed against

and name and designation of the officer/authority
who passed the order (enclosed copy), or a
statement of a decision, action or omission of
the Procuring Entity in contravention to the provisions
of the act by which the appellant is aggrieved :

04. If the Appellant proposes to be represented by a

representatives, the name and postal address of
the representative :

05. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

06. Ground of appeal :

.....
.....
..... (supported by
an affidavit)

07. Prayer :

.....
.....
.....

Place :

Date :

Signature

Appellant's

ANNEXURE- D

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

01. Correction of arithmetical errors :

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

(i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

(ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bids does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

02. Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

(i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply, if the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Suppliers.

03. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of Procurement of Goods) :

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of tenderer with seal